

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर ऑचल योजना शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु वर्क कैलेंडर

क्र.सं.	कार्य	कार्य विवरणी	तिथि	जिम्मेवारी
1	रिक्ति निर्धारण	महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलो की प्रखंडवार सूची के आधार पर चयन हेतु टोला एवं कोटि का निर्धारण	—	जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित पदाधिकारी
2	विज्ञापन	नियोजन हेतु NIC के वेबसाईट तथा प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस/सूचना के द्वारा प्रकाशन	26 दिसम्बर 2024	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
3	समिति गठन	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन हेतु समिति का गठन।	31 दिसम्बर 2024	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
4	आवेदन प्राप्त करना	समिति के सदस्य-सह-संयोजक (चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, तिथिवार पंजी में संधारण एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद देना पंजी के पृष्ठांकन का सत्यापन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।	15 जनवरी, 2025	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
5	मेधा अंक की गणना	नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के मेधा अंक की गणना कर जिला के वेबसाईट, प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित करना	18 जनवरी, 2025	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
6	आपत्ति आमंत्रण	मेधा सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर आपत्ति प्राप्त करना, आपत्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद देना तथा आपत्ति का तिथिवार पंजी में संधारण।	20 जनवरी, 2025	चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
7	आपत्ति निराकरण	आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिन से दो दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण एवं इससे संबंधित अभिलेख का संधारण।	22 जनवरी, 2025	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
8	अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन	समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अभ्युक्तियों के अंतिम मेधा सूची तैयार कर जिला के वेबसाईट/जिला कार्यालय/प्रखंड शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन।	24 जनवरी, 2025	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
9	मेधा सूची का अनुमोदन	मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता द्वारा 03 दिनों के अंदर अनुमोदन कर नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य, सचिव को उपलब्ध कराना।	29 जनवरी, 2025	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
10	प्रशिक्षण संबंधित सूचना	चयनित शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को प्रशिक्षण संबंधी सूचना देना	30 जनवरी, 2025	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
11	प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण	चयनित शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण के अंतिम दिन नियोजन पत्र का वितरण	04 फरवरी, 2025	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
12	निदेशालय को सूचना	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की सूची का जन शिक्षा निदेशालय में प्रेषण।	10 फरवरी, 2025	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(साक्षरता) भोजपुर, आरा।
19/12/24

जिला शिक्षा पदाधिकारी
भोजपुर, आरा।
19/12/24

भोजपुर जिलान्तर्गत महादलित टोलों में शिक्षा सेवक चयन हेतु विद्यालय की सूची

क्र.सं.	प्रखंड	पंचायत का नाम	महादलित टोला का नाम	जनसंख्या	विद्यालय का नाम	कोटि
1	बड़हरा	फरना	फरना	1096	MS FARNA	पुरुष
2	बड़हरा	बखोरापुर	बखोरापुर पश्चिम	988	UMS PAIGA	महिला
3	बड़हरा	बखोरापुर	पैगा	867	GPS PAIGA	पुरुष
4	बड़हरा	नथमलपुर	नथमलपुर के टोला महुदही	863	PS MAHUDAHI	महिला
5	बड़हरा	सिन्हा	सिन्हा	745	GPS SINHA-1	पुरुष
6	बड़हरा	बड़हरा	मणी छपरा	725	PS MANI CHHAPRA	पुरुष
7	बड़हरा	गजियापुर	फरहाद	720	GPS FARHADA	महिला
8	बड़हरा	एकौना	एकौना	648	IRPS EKAUNA GHAT	पुरुष
9	बड़हरा	मटुकपुर	मटुकपुर	629	GUMS MATUKPUR	पुरुष
10	बड़हरा	पश्चिमी गुण्डी	गलचौर	582	UMS GALCHAUR	पुरुष
11	बड़हरा	सेमरिया पड़रिया	पड़रियाँ	560	PS PARARIYA	पुरुष
12	बड़हरा	बड़हरा	रामपुर	536	NPS RAMPUR WEST TOLA	महिला
13	बड़हरा	सेमरिया पड़रिया	भुसहुला	535	PS BHUSAULA	पुरुष
14	बड़हरा	नथमलपुर	नथमलपुर	518	MS NATHMALPUR	महिला
15	बड़हरा	फरना	बड़का लौहर	507	UMS LAUHAH KALA	पुरुष
16	बड़हरा	एकौना	कुईआ	490	PS KUIYAN	महिला
17	बड़हरा	पूर्वी गुण्डी	शिवपुर	477	UMS SHIVPUR	पुरुष
18	बड़हरा	पकड़ी	अभुलाल के इंग्लिश	463	PS ABHULAL KE ENGLISH	महिला
19	बड़हरा	फरना	लौहर श्रीपाल	462	PS LAUHAH SRIPAL	पुरुष
20	बड़हरा	मटुकपुर	रामशहर	461	GPS RAMSHAHAR	महिला
21	बड़हरा	सरैयाँ	सरैयाँ	460	MS SARAIYA	महिला
22	बिहियाँ	शिवपुर	वीरपुर चमार एवं धोबीटोली	766	प्रा०वि० तैतरियाँ	पुरुष
23	बिहियाँ	शिवपुर	शिवपुर चमार एवं धोबीटोली	676	म०वि० शिवपुर	महिला
24	बिहियाँ	गौडाढ रुद्रनगर	गौडाढ चमार+मुसहर+पासी+धोबीटोली	621	प्रा०वि० मुसहर टोली गौडाढ	महिला
25	बिहियाँ	शिवपुर	साहोडिह चमारटोली	500	न्यू प्रा०वि० साहोडिह	महिला
26	बिहियाँ	कल्याणपुर	बांधा चमारटोली	472	नया प्रा०वि० कल्याणपुर	महिला
27	बिहियाँ	घाघा	घाघा चमार+पासी+धोबीटोला	464	म०वि० घाघा	पुरुष
28	पीरो	कटरियाँ	कटरियाँ पूर्वी मुसहरटोली	812	P.S. PREMA RAI KE TOLA	पुरुष
29	पीरो	तार	खिरिकोन	601	U.M.S. KHIRIKONE	पुरुष
30	पीरो	नायक टोला	बरौली	598	M.S. BARAULI	महिला
31	शाहपुर	गौरा	चमार एवं डोम गौरा	765	उ० म० वि० चारघाट	पुरुष
32	शाहपुर	सहजौली	दक्षिण महादलित टोला सहजौली	591	म० वि० सहजौली	पुरुष
33	शाहपुर	लहंग डुमरियाँ	खरौनी चमारटोली	587	उ० म० वि० खरौनी	महिला
34	शाहपुर	बिलौटी	महादलित टोला बिलौटी चमार	547	कन्या म० वि० बिलौटी	महिला
35	शाहपुर	झौवा वेनवलियाँ	झौआ चमार, डोम एवं धोबीटोला	499	बुनियादी विद्यालय झौवा बेनवलिया	पुरुष
36	शाहपुर	परसाँडा	सोनवर्षा धोबीटोला	486	प्रा० वि० सोनवर्षा	पुरुष
37	शाहपुर	सेमरिया	चमारटोला भैसहा	449	नव० प्रा० वि० भैसहा टोला सेमरिया	महिला
38	संदेश	जमुआँव	रविदास मुसहरटोला जमुआँव	1253	उ० म० वि० जमुआँव	महिला
39	संदेश	अखगाँव	महादलित टोला अखगाँव	527	न्यू प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम टोला अखगाँव	महिला
40	उदवंतनगर	नवादाबेन	नवादाबेन चमार टोली	560	न्यू प्रा०वि० नवादाबेन अनु०टो०	महिला
41	उदवंतनगर	बकरी	बकरी	553	उ०म०वि० बकरी	महिला
42	उदवंतनगर	सोनपुरा	सोनपुरा चमार टोली	538	न्यू प्रा०वि० सोनपुरा	पुरुष
43	तरारी	भकुरा	पड़रियाँ चमारटोला	446	प्रा०वि० पड़रियाँ	पुरुष
44	जगदीशपुर	कफिला	उगना मुसहरटोली, चमारटोली, पासीटोली, मेस्तरटोली	795	उ०म०वि० उगना	महिला
45	जगदीशपुर	हरिगाँव	हरिगाँव चमारटोली	765	उ० म० वि० हरिगाँव	महिला

12/3/24

भोजपुर जिलान्तर्गत महादलित टोलों में शिक्षा सेवक चयन हेतु विद्यालय की सूची

क्र.सं.	प्रखंड	पंचायत का नाम	महादलित टोला का नाम	जनसंख्या	विद्यालय का नाम	कोटि
46	जगदीशपुर	परसियाँ	परसियाँ चमारटोला धोबीटोला एवं दुसाधटोला	632	प्रा० वि० परसिया	महिला
47	जगदीशपुर	बसौना	बलुआही दुसाधटोली	555	प्रा० वि० मीठहा	पुरुष
48	जगदीशपुर	पश्चिमी आयर	कहेन दुसाध टोला	485	प्रा० वि० कहेन	महिला
49	जगदीशपुर	हेतमपुर	कटाई बोझ चमारटोली	455	उ०म०वि० कटाईबोझ	पुरुष
50	अगिआँव	नोनउर	नाढ़ी	1200	म०वि० नाढ़ी	पुरुष
51	अगिआँव	पोसवाँ	पोसवाँ	1017	म०वि० पोसवाँ	महिला
52	अगिआँव	रतनाढ़	बेरथ	973	म०वि० बेरथ	पुरुष
53	अगिआँव	रतनाढ़	रतनाढ़	962	म०वि० रतनाढ़	महिला
54	अगिआँव	बड़गाव	बड़गाँव	824	प्रा०वि० बड़गाँव अनु०जा०	महिला
55	अगिआँव	सेवथा	सेवथा	567	म०वि० सेवथा	महिला
56	अगिआँव	सेवथा	मुरादपुर	544	उ०म०वि० मुरादपुर	पुरुष
57	अगिआँव	पोसवाँ	अहिले	460	म०वि० अहिले	पुरुष
58	आरा सदर	सनदियाँ	रामनगर टोला	730	ई०आ०प्रा०वि० छोटकी सनदियाँ	महिला
59	आरा सदर	बसन्तपुर	रामपुर	600	उ०म०वि० रामपुर	महिला
60	आरा सदर	सुन्दरपुर बरजा	बसमनपुर	550	प्रा०वि० बसमनपुर	पुरुष
61	आरा सदर	गंगहर	गंगहर	544	ई०आ०प्रा०वि० पैटानपुर	महिला
62	आरा सदर	धमार	धमार	450	म०वि० धमार	पुरुष
63	आरा नगर	वार्ड— 5, 6	बिन्द टोली	1630	प्रा०वि० बिन्दटोली	पुरुष
64	आरा नगर	वार्ड— 27	कसाई टोला नाजिरगंज	1555	उ०म०वि० अहिरपुरवा	महिला
65	आरा नगर	वार्ड— 44	मुसहर टोला/पासवान टोला	1500	प्रा०वि० अनाईट	पुरुष
66	आरा नगर	वार्ड— 3	बलबतरा	1170	प्रा०वि० बलबतरा	महिला
67	आरा नगर	वार्ड— 34	धनुपरा	1008	प्रा०वि० धनुपरा	पुरुष
68	आरा नगर	वार्ड— 36	श्रीटोला	860	प्रा०वि० श्रीटोला	पुरुष
69	आरा नगर	वार्ड— 1	बड़की सिंगही	750	उर्दू प्रा०वि० सिंगही	महिला
70	आरा नगर	वार्ड— 2	गौस गंज	600	प्रा०वि० गौसगंज	पुरुष
71	आरा नगर	वार्ड— 32	बेगमुपुर	525	प्रा०वि० बेगमुपुर	पुरुष
72	गड़हनी	काउप	काउप	700	प्रा० वि० शिवाला टोला काउप	पुरुष
73	गड़हनी	गड़हनी	गड़हनी	452	प्रा० वि० ध्यानी टोला	महिला

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(साक्षरता) भोजपुर, आरा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

20/12/2024

भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखण्डवार अल्पसंख्यक टोलो की विवरणी

क्र.सं.	प्रखंड	टोला का नाम वार्ड सहित	पंचायत का नाम	जनसंख्या	संबंधित टोले के विद्यालय का नाम	कोटि
1	बड़हरा	मटुकपुर	मटुकपुर	924	प्रा०वि० रामसागर	पुरुष
2	बड़हरा	वार्ड- 1	बभनगौवा	673	क०प्रा०वि० बभनगौवा	महिला
3	बड़हरा	वार्ड- 7	गजियापुर फरहदा	636	क०प्रा०वि० फरहदा	पुरुष
4	बड़हरा	वार्ड- 13	पकड़ी	430	क०प्रा०वि० पकड़ी	पुरुष
5	कोईलवर	महुई बलहों- 2	चंदा	550	उर्दू प्रा०वि० महुई बलहा	पुरुष
6	कोईलवर	वार्ड- 1	दौलतपुर	520	उर्दू प्रा०वि० बाबुगंज	पुरुष
7	कोईलवर	काजीचक वार्ड- 7	चंदा	491	उर्दू प्रा०वि० काजीचक	महिला
8	कोईलवर	सुरौधा कॉलोनी	कोईलवर नगर	455	प्रा०वि० सुरौधा कॉलानी	पुरुष
9	कोईलवर	मियाचक वार्ड- 10	कोईलवर नगर	433	क०प्रा०वि० कोईलवर	महिला
10	कोईलवर	वार्ड- 14	कायमनगर	406	उर्दू म०वि० कायमनगर	महिला
11	कोईलवर	काजी मुहल्ला वार्ड- 6	कोईलवर नगर	404	उर्दू प्रा०वि० कोईलवर	पुरुष
12	कोईलवर	जमालपुर वार्ड- 13	दौलतपुर	378	उर्दू प्रा०वि० जमालपुर	पुरुष
13	कोईलवर	कोइलवर वार्ड- 9	कोईलवर नगर	363	प्रा०वि० प्रखंड कॉलोनी	महिला
14	बिहियाँ	कल्याणपुर- 4, 7, 8, 9, 11	कल्याणपुर	592	म०वि० कल्याणपुर	पुरुष
15	बिहियाँ	धोबी मुहल्ला- 6, 7	बिहिया नगर	403	क०म०वि० बिहियाँ	महिला
16	पीरो	वार्ड- 12	नगर परिषद्	667	उर्दू क०प्रा०वि० पीरो गॉव	पुरुष
17	पीरो	वार्ड- 25	नगर परिषद्	555	उर्दू प्रा०वि० इब्राहिमपुर	महिला
18	शाहपुर	उमरांवगंज	करजा	700	ई०आ०प्रा०वि० करजा	महिला
19	शाहपुर	तकिया मुहल्ला वार्ड- 2	नगर पंचायत	700	न्यू प्रा०वि० शोभी टोला शाहपुर	पुरुष
20	शाहपुर	डुमरिया वार्ड- 2	सहजौली	450	क०प्रा०वि० डुमरिया	पुरुष
21	शाहपुर	महुआर बाबु टोला वार्ड- 8	देवमलपुर बहुदरी	400	न्यू प्रा०वि० इंग्लिशपुर	महिला
22	संदेश	वार्ड- 8,10,11	नारायणपुर	940	म०वि० नारायणपुर	महिला
23	संदेश	वार्ड- 8	रामाषाढ़	500	न्यू प्रा०वि० रामाषाढ़ मु०टोला	पुरुष
24	संदेश	वार्ड- 11	रामाषाढ़	500	प्रा०वि० रामाषाढ़	महिला
25	सहार	पश्चिमी पट्टी- 15	एकवारी	350	उर्दू क०म०वि० एकवारी-1	पुरुष
26	उदयंतनगर	वार्ड- 6	बेलाउर	527	उर्दू प्रा०वि० बेलाउर	महिला
27	जगदीशपुर	दुलौर	उ०जंगल महाल	402	म०वि० दुलौर	पुरुष

8
जगदीशपुर

03

10/11/21

क्र.सं.	प्रखंड	टोला का नाम वार्ड सहित	पंचायत का नाम	जनसंख्या	संबंधित टोले के विद्यालय का नाम	कोटि
28	जगदीशपुर	भड़सरा	बि० जंगल महाल	357	उ०म०वि० भड़सरा	महिला
29	अगिऑव	धोबड़ी, वार्ड- 16	बड़गॉव	1139	रा०म०वि० बड़गॉव	पुरुष
30	अगिऑव	नाढ़ी वार्ड-3	नोनउर	597	म०वि० नाढ़ी	पुरुष
31	अगिऑव	अजीमाबाद, वार्ड- 13	किरकिरी	593	क०प्रा०वि० अजिमाबाद	महिला
32	अगिऑव	अजीमाबाद, वार्ड- 12	किरकिरी	589	क०प्रा०वि० अजिमाबाद	महिला
33	अगिऑव	अजीमाबाद, वार्ड- 15	किरकिरी	578	प्रा०वि० अजिमाबाद अनु०जा०	पुरुष
34	अगिऑव	अजीमाबाद, वार्ड- 11	किरकिरी	450	क०प्रा०वि० अजिमाबाद	महिला
35	अगिऑव	पवना, वार्ड-2	पवना	380	म०वि० पवना	महिला
36	अगिऑव	पवना, वार्ड- 1	पवना	360	उर्दू प्रा०वि० अरैला पवना	पुरुष
37	आरा	चकिया	सनदिया	850	उर्दू प्रा०वि० बालक चकिया	महिला
38	आरा	रामदेव छपरा	रामपुर सनदिया	650	उ०म०वि० रामदेवछपरा हिन्दी	महिला
39	आरा	घेघटा	पिरौटा	500	उर्दू प्रा०वि० घेघटा	पुरुष
40	आरा	अगरसन्डा	अगरसन्डा	400	उ०मा०वि० अगरसन्डा	पुरुष
41	आरा नगर	महादेवा मस्जिद वार्ड- 21	आरा	710	शाहाबाद प्रा०वि० मिश्रटोली	पुरुष
42	आरा नगर	धरहरा वार्ड- 35	आरा	605	म०वि० धरहरा	महिला
43	आरा नगर	रौजा	आरा	504	प्रा०वि० रौजा	महिला

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(साक्षरता) भोजपुर, आरा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना
टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन हेतु आवेदन पत्र

क्रम सं०—

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा
निर्धारित जाति बहुलता
आरक्षण (महिला)

आवेदक द्वारा भरा जाएगा
(जिस पंचायत/वार्ड/शहरी के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसका नाम)
टोला/पंचायत/वार्ड (शहरी)

पासपोर्ट आकार का
अभिप्रेमाणित फोटो
चिपकाएँ।

- आवेदक/आवेदिका का नाम
- पिता/पति का नाम
- माता का नाम
- जाति प्रमाण-पत्र
- (क) जन्मतिथि दिन माह वर्ष
(ख) उम्र (दिनांक 01.08.20..... को) वर्ष माह दिन
- स्थायी निवास
(क) टोला/गांव/मुहल्ला
(ख) पंचायत/वार्ड (शहरी)
(ग) प्रखण्ड/नगर निकाय
(घ) जिला, (च) राज्य, (छ) पिन कोड
(ज) आधार सं०.....
(झ) फोन/मोबाईल न०
- शैक्षणिक योग्यता

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	कोटि (दलित/महादलित/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग)	महिला/पुरुष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

घोषणा :- मेरी जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त सूचनाएँ सत्य हैं। असत्य एवं जाने पर भेरा बटन रद्द एवं मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान—

दिनांक —

आवेदक का पूरा नाम

हस्ताक्षर

नोट— आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्वयं अभिप्रेमाणित छायाप्रति संलग्न करें— 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र 2. आवासीय प्रमाण-पत्र 3. कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र 4. अनुभव की अवधि में वेतन भुगतान का प्रमाण-पत्र 5. जाति प्रमाण-पत्र।

✕

✕

✕

टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती पिता/पति श्री
(क) टोला/गांव/मुहल्ला (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी)
(ग) प्रखण्ड/नगर निकाय (घ) जिला का आवेदन पत्र
टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी के नियोजन हेतु दिनांक को प्राप्त किया। इन्होंने
पंचायत/वार्ड (शहरी) प्रखण्ड/नगर निकाय जिला के
लिए आवेदन दिया है जिसका क्र० सं० है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर

9/2
जन शिक्षा निदेशालय
पटना



बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक
अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना

शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज)
के चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018



जन शिक्षा निदेशालय

तृतीय मंजिल, कमरा सं०-351, विकास भवन,
नया सचिवालय, बेली रोड, पटना।

ले मशालें चल पड़े हैं

ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के,
अब अँधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के।

पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी,
कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के।

नया सूरज अब उगेगा, देश के हर गाँव में
अब इकट्ठे हो चले हैं लोग मेरे गाँव के।

चीखती है हर रुकावट ठोकरोँ की मार से,
बेड़ियाँ खनका रहे हैं लोग मेरे गाँव के।

देखो यारो! जो सुबह लगती है फीकी आज तक
नया रंग उसमें भरेंगे, लोग मेरे गाँव के।

ज्ञान का दीपक जलेगा, देश के हर गाँव में
रोशनी फैला रहे हैं, लोग मेरे गाँव के।

बिन पढ़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं, यह जानकर
अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के।

ले मशालें ।

बिहार राज्य प्रार्थना

मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे
ऐसी परवाज दे मालिक कि गगन नाज करे।

वह नजर दे कि करूँ कद्र हरेक मजहब की
वह मोहब्बत दे मुझे, अम्नो अमन नाज करे।

मेरी खूशबू से महक जाए यह दुनिया मालिक
मुझको वह फूल बना, सारा चमन नाज करे।

इल्म कुछ ऐसा दे, मैं काम सबों के आऊँ
हौसला ऐसा ही दे, गंग व जमन नाज करे।

आधे रास्ते पर न रुक जाए मुसाफिर के कदम
शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे।

दीप-से-दीप जलाएँ कि चमक उठे बिहार
ऐसी खूबी दे ऐ मालिक कि वतन नाज करे।

जय बिहार, जय बिहार, जय जय जय बिहार!

शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018

1. प्रस्तावना —

- (I) मानव के संतुलित शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा हमें हर प्रकार के बंधनों—गरीबी, बीमारी, कुरीतियों, शोषण, उत्पीड़न, भेद—भाव आदि से आजादी दिलाती है। अच्छी शिक्षा पाकर हम बंधनों से बाहर निकल कर अपने को सशक्त बनाते हैं और योग्य नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं।
- (II) 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82 % है और महिलाओं में 53.53 % मात्र। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास से नामांकन 99% तक पहुँच गया है, परन्तु आठवीं कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते बड़ी संख्या में बच्चों का छीजन (Drop out) हो जाता है। **वर्ष 2009 में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Free and Compulsory Education Act, 2009)** लागू हुआ। इसी क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा **अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011** बनायी गई। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना हमारा दायित्व है। साक्षरता और शिक्षा में पिछड़ेपन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय एवं वर्ग में शिक्षा और साक्षरता बिहार के लिए चुनौती है।
- (III) शिक्षा में कमी, जनसंख्या वृद्धि, बाल—विवाह, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारणों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिस घर में माता शिक्षित हैं, वहाँ पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, वहाँ बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में बेहतर उपलब्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए संबंधित समुदाय के विकास के लिए माताओं का कार्यात्मक रूप से साक्षर होना आवश्यक है।
- (IV) हमारे समाज में बाल—विवाह, दहेज—प्रथा, विभिन्न प्रकार के नशे का सेवन, महिलाओं के प्रति गैर—बराबरी का दृष्टिकोण एवं सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर शोषण या भेद—भाव जैसी अनेक सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त हैं। इन सब को दूर कर ही हम एक विकसित, सुशिक्षित, ज्ञानमूलक एवं समता—मूलक समाज बना सकते हैं।

अपनी मिट्टी, अपनी शान,
पढ़—लिखकर होगी पहचान।

- (V) उपर्युक्त पृष्ठभूमि में बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के द्वारा महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना का आरंभ 2012-13 में किया गया। इस योजना से अपेक्षा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग में साक्षरता (विशेषकर महिला साक्षरता) में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इस वर्ग एवं समुदाय के बच्चे गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे। यह योजना इन समुदायों एवं वर्गों की महिलाओं और बच्चों को साक्षर और शिक्षित करते हुए उन्हें मुख्यधारा में शामिल कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा करेगी। यह योजना महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान एवं उत्प्रेरण का कार्यक्रम है।

2. शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का कार्य एवं दायित्व –

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग में साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिये शिक्षा सेवक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। उनका प्रमुख कार्य इस समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनने के लिये प्रेरित करना, तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाये जा रहे साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की योजनाओं से जोड़ना है। इनके कार्यों एवं दायित्वों को निम्नांकित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है:-

- (क) (I) शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक बनाये रखने के लिये एवं छीजन कम करने के लिये काम करेंगे। इनकी भूमिका सुगमकर्ता (Facilitator) एवं प्रेरक (Motivator) की होगी।
- (II) टोले के बच्चों को जमा कर प्रारंभिक तैयारी कराकर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जायेंगे। विद्यालय प्रधान से सम्पर्क कर सबों के नामांकन एवं सीखने की व्यवस्था विद्यालय में करावेंगे। चेतना सभा में एवं आरंभ में दो घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों को विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के साथ जुड़ने में सहयोग करेंगे।
- (III) उपर्युक्त कार्य के लिये सर्वे द्वारा बच्चों की बाल पंजी एवं असाक्षर वयस्क महिलाओं/माताओं की पंजी तैयार करना, विद्यालय में नामांकन कराना, बच्चों को टोला से एक साथ विद्यालय पहुँचाना, कक्षा में बच्चे मुख्यधारा के साथ हों एवं सीखने के लिए तैयार हों, इसके लिए कार्य करना, विद्यालय के पूर्व बच्चों के लिये कोचिंग कक्षा का संचालन करना, समय-समय पर बच्चों की काउन्सलिंग करना, विद्यालय के शिक्षकों एवं अभिभावकों से नियमित संपर्क रखना उनके कार्य में शामिल होगा।
- (ख) (I) शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) अपने टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय आरंभ होने से पहले विद्यालय के लिए तैयार करेंगे, कोच (coach) करेंगे। इसके साथ ही वे 15 से 45 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को दोपहर में एक घंटे तक पढ़ाने का एवं बाद में टोलों में सम्पर्क का कार्य भी करेंगे। विद्यालय संचालन के समय में परिवर्तन होने पर एवं ग्रीष्मावकाश व लम्बी छुट्टियों में पढ़ाने के समय में परिवर्तन आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा किया जा सकेगा।

एहेन सुविधा गाँव में भेल,
पढ़ब-लिखब हँसी-खेल।

- (ii) निर्धारित टोले की असाक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं बच्चों के सीखने की उपलब्धि की जानकारी माताओं को देना इनका दायित्व होगा।
- (ग) सरकार की विकास योजनाओं एवं समाज-सुधार के कार्यक्रमों से टोले के लोगों को परिचित कराना एवं जागरूक करना इनका कार्य होगा। शिक्षा सेवक/ शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) अपने-अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, आपदा प्रबंधन आदि विभागों एवं लाभुकों के बीच कड़ी का काम करेंगे। गाँव/टोला के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार के स्तर से दी जानेवाली सुविधाओं की जानकारी देना तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें नियमानुसार सभी व्यक्ति को प्राप्त हो, इस हेतु प्रयास करना उनसे अपेक्षित होगा।
- (घ) समय-समय पर जन शिक्षा निदेशालय द्वारा आवंटित शिक्षा, साक्षरता, जन जागरण एवं सामाजिक कुरीतियों में सुधार के कार्य उनके द्वारा किए जाएँगे।

चयन की प्रक्रिया

3. रिक्ति का निर्धारण एवं चयन –

- (क) (I) पूरे राज्य के लिए शिक्षा सेवक (20,000) एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) (10,000) की संख्या निर्धारित है। यह जिलावार आबादी के आधार पर आवंटित की गई है जिसे अनुलग्नक 'क' में दर्शाया गया है। यह संख्या जिले के लिए निर्धारित बल हैं। इस संख्या से अधिक का चयन/नियोजन अवैध होगा। निर्धारित संख्या में भी रिक्ति की कोटि स्वीकृत बल के अनुरूप होगी।
- (II) किस टोले में केन्द्र खोला जाये, इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले के सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेन्डरी सोर्स के आँकड़ों के आधार पर दलित-महादलित बाहुल्य एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग बाहुल्य टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की ओर प्रखण्डवार तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों के संबंधित आँकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है। टोलों की संख्या की तुलना में निर्धारित इकाई कम है। अतएव सर्वप्रथम अधिक संख्या वाले टोले में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन किया जाएगा। यह क्रम अधिक से कम की ओर होगा। सर्व प्रथम चयन का स्थान एवं चयन की कोटि (शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) महिला या पुरुष) निर्धारित की जाएगी। ठोस आँकड़े नहीं रहने पर जिला पदाधिकारी इस हेतु जिले की आबादी, प्रखंडों की संख्या एवं अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर जो तार्किक रूप से सुविचारित होगा, केन्द्र-निर्धारण का निर्णय ले सकेंगे। इस केन्द्र-निर्धारण सूची पर जिला पदाधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (III) 60 वर्ष की उम्र के पूर्व के यदि कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की मृत्यु हो जाती है या पद-मुक्ति या त्याग या अन्य कारणों से रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्तियों पर चयन प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व जिला पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

जिसने लिखना-पढ़ना सीखा,
उसने आगे बढ़ना सीखा।

- (IV) यदि रिक्त स्थान पर पूर्व के कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले को देते हुए वहाँ नियोजन किया जायेगा। अर्थात् जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है, वहाँ एक साल की सेवा पूर्व के शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। यह रिक्ति प्रखण्ड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता (महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग की आबादी के आधार पर घटते क्रम में निर्धारित सूची के आधार पर) के बावजूद केन्द्र नहीं दिया जा सका था, वहाँ के लिए इकाई आवंटित करके चयन की कार्यवाई होगी।
- (ख) जिलों में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप चिन्हित टोले में उसी समुदाय से एक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन किया जायेगा। शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा।

4. चयन हेतु योग्यता –

- (क) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। उच्चतर योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता देय नहीं होगी।
- (ख) मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत एवं अनुभव अंक जोड़कर अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा। साक्षरता, शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम-से-कम छः माह या उससे अधिक समय तक काम करने एवं मानदेय/वेतन/प्रबोधन राशि प्राप्ति प्रमाण के आधार पर मेधा सूची में अतिरिक्त अंक अनुभव के इस प्रकार दिये जायेंगे—
- (I) 6 माह से 1 वर्ष कार्य करनेवाले के लिये 5 अंक।
 - (II) 1 वर्ष से अधिक के लिये 10 अंक।
 - (III) अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे। मैट्रिक या समकक्ष के प्राप्तांक प्रतिशत में जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी। गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य के लिये एवं जिन कार्यों में मानदेय या वेतन या प्रबोधन भुगतान का प्रमाण नहीं होगा, अनुभव अंक देय नहीं होगा।

भेदभाव से नाता तोड़ो,
पढ़ लिखकर समाज को जोड़ो।

- (ग) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष के 01 अगस्त को आधार मानकर की जाएगी।
- (घ) आवेदक महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग परिवार से होगा। चिह्नित टोलों में जिस महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा कोटि की बहुलता होगी उसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
- (ङ) सभी जिलों में शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज)की स्वीकृत संख्या अनुलग्नक 'क' में प्रतिवेदित है। जिस समूह में रिक्ति होगी उसी समूह से चयन द्वारा भरा जाएगा अर्थात् शिक्षा सेवक की रिक्ति होने की स्थिति में शिक्षा सेवक का तथा शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की रिक्ति होने की स्थिति में शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन किया जाएगा।
- (च) जिस टोला से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र (अनुलग्नक 'ख') प्राप्त कर चयन किया जाएगा।
- (छ) आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना आवश्यक होगा।

करो शिक्षितो शिक्षा दान,
बढ़ जायेगा तेरा मान।

5. चयन –

- (क) शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाएगा। समिति गठन हेतु पहल सदस्य-सह-संयोजक द्वारा किया जायेगा :-

क्र.सं.	पद	ग्रामीण क्षेत्र	सं०
1.	अध्यक्ष	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य। (निर्वाचित सदस्य नहीं रहने की स्थिति में चयन कार्य लम्बित रहेगा।)	1
2.	सदस्य-सह-संयोजक	संबंधित वार्ड के पोषक/मध्य/प्राथमिक विद्यालय या टोला से निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक (एक से अधिक विद्यालय होने की स्थिति में वरीय प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक)	1
3.	चार स्थानीय सदस्य	जिस टोले में चयन होना है, वहाँ के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में टोले की आम सभा में संबंधित समुदाय (महादलित/दलित/ अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग) के चयनित चार सदस्य, जिनमें से दो महिला अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में रहेंगी।	4 (2 महिला अनिवार्य)
4.	सदस्य	संबंधित पंचायत की निर्वाचित अनुसूचित जाति महिला सदस्य	1
5.	सदस्य	चयनित होनेवाले टोले की जीविका दीदी यदि चयन होनेवाले वार्ड में जीविका दीदी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका द्वारा उसी पंचायत से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा। पंचायत स्तर पर जीविका दीदी उपलब्ध नहीं रहने पर प्रखण्ड से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।)	1
	सदस्य	संबंधित प्रखण्ड के के०आर०पी०	1
		कुल संख्या	9

- (ख) कुल निर्धारित/स्वीकृत बल की रिक्ति के विरुद्ध स्थान (टोला) एवं संख्या (50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए निर्धारित करते हुए) का अनुमोदन जिला पदाधिकारी से लेने के पश्चात् नियोजन की कार्यवाही आरंभ होगी। सूचना प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर 21 दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी। इसे कम-से-कम निम्नांकित 5 सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर अवश्य चिपकाया जायेगा एवं उनके कार्यालय प्रधान को प्रचारार्थ एक प्रति प्राप्त करायी जायेगी:-

- प्रखण्ड प्रमुख कार्यालय
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय

नारी के आँचल में अक्षर,
बेटी-माता दोनों साक्षर।

- (III) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय।
 (IV) जिस पंचायत में चयन किया जाना है, उसके सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय।
 (V) जिस पंचायत के लिए चयन किया जाना है, उसका पंचायत भवन। नियोजन का सम्पूर्ण कार्यक्रम जिले की सरकारी (NIC) वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
 (ग) आवेदन सदस्य-सह-संयोजक (चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के पास जमा किया जायेगा। आवेदन-प्राप्ति की रसीद आवेदक को दी जाएगी।
 (घ) शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) चयन में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की महिला को 50% कोटा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
 (ङ) मेधा अंक की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी एवं इसे प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर प्रकाशित कराया जायेगा एवं आपत्तियों को आमंत्रित किया जायेगा। आपत्तियों के निराकरण के उपरांत ही अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी।

क्र० सं०	नाम	पिता / पति का नाम	कोटि (दलित / महादलित / अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा)	महिला / पुरुष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

आपत्ति-आमंत्रण हेतु औपबंधिक मेधा सूची (प्रपत्र-ग) प्रकाशन के पश्चात् एक सप्ताह का समय निर्धारित होगा एवं आपत्ति-प्राप्ति के अंतिम दिवस से तीन दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशित मेधा सूची अगले कार्य दिवस को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदित करते हुए संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-घ) में नियोजन पत्र संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी / के0आर0पी0 के माध्यम से नियोजन इकाई के सदस्य, सचिव को उपलब्ध कराने की कार्यवाई की जाएगी।

- (च) समान मेधा अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता, समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चयन किया जाएगा।

अनपढ़ बहना लजाती है,
जगह-जगह ठगाती है।

- (छ) चयनोपरांत सभी शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का पाँच दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके नाम से नियोजन पत्र निर्गत हो, किन्तु पाँच दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण में योगदान नहीं किये हों और न ही 5 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त किये हों, उन्हें अनुपस्थित मानते हुए मेधा सूची के अगले क्रम के अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
- (ज) नियोजन हेतु निर्मित पैनल मात्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। किसी ठोस कारण से यदि पैनल से नियोजन नहीं हो पाया तो एक वर्ष बाद नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।
- (झ) चयनित अभ्यर्थियों के योगदान के उपरांत संयोजक के द्वारा उनके शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरांत सही पाए जाने पर ही मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रमाण-पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध संयोजक द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
- (ञ) चयन पर दावा/आपत्ति होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों तक प्रथम अपील किया जा सकता है। प्रथम अपील में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर ऐसे द्वितीय अपील का निष्पादन किया जायेगा।

असली गहना अक्षर गहना,
नारी का सम्मान है पढ़ना।

6. मानदेय –

- (क) प्रत्येक शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को प्रतिमाह रु0 8000.00 (आठ हजार) मात्र मानदेय संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय से भुगतान उनके आधार संबद्ध (Seeded) खाते में ही आर0टी0जी0एस0 या अन्य निर्धारित बैंक की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। मानदेय का भुगतान प्रधानाध्यापक द्वारा के0आर0पी0 को उपलब्ध करायी गयी ऋणात्मक विवरणी (Negative Statement) के आधार पर किया जायेगा। शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक गत माह में अनुपस्थित दिवस की गणना के साथ के0आर0पी0 को विवरणी उपलब्ध करा दी जाएगी एवं के0आर0पी0 द्वारा 10 तारीख तक ऋणात्मक सूची जिला कार्यालय, साक्षरता को जमा की जाएगी। ऋणात्मक सूची नहीं देने की स्थिति में शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को अपने कर्तव्य पर उपस्थित मानते हुए मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतानोपरांत यदि तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी भी प्रकार का गलत भुगतान हुआ है, तो उनके अगले माह के मानदेय से कटौती की जायेगी। दोषपूर्ण विवरणी देने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक/के0आर0पी0 जवाबदेह होंगे एवं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।
- (ख) सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत आश्रित को 4.00 लाख रु0 की अनुग्रह राशि एकमुश्त देय होगी। निम्नांकित प्रमाण के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर ही अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा :-
- (I) चिकित्सक/अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।
 - (II) मृत्यु-तिथि तक शिक्षा सेवक के पद पर कार्यरत थे, इस आशय का प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
 - (III) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता (वंशावली) प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (IV) मृतक एवं आश्रित के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (V) कार्यपालक दंडाधिकारी से कानूनी वारिस संबंधी शपथ-पत्र की मूल प्रति।
 - (VI) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा निदेशालय को अनुशंसा।

आया मौका पढ़ने का,
हक की खातिर लड़ने का।

7. शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की छुट्टी –

शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को वर्ष में 12 (बारह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। महिलाओं को 90 (नब्बे) दिनों का मातृत्व अवकाश प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यह सुविधा मात्र दो बच्चों तक ही देय होगी। वर्ष में अधिकतम 30 (तीस) दिनों का अवैतनिक अवकाश गंभीर स्वास्थ्य-समस्या या अन्य विशेष परिस्थिति में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा देय होगा। ग्रीष्मावकाश एवं अन्य बड़ी छुट्टियों में विद्यालय पहुँचाने का कार्य स्थगित रहेगा, परन्तु कोचिंग क्लास एवं माताओं को पढ़ाने का कार्य जारी रहेगा। केवल रविवार/उर्दू विद्यालय के लिए शुक्रवार के दिन तथा महत्वपूर्ण पर्व-त्योहारों के दिन (जिसमें टोला के लोग शामिल होते हों) कोचिंग एवं माताओं के शिक्षण का कार्य स्थगित रहेगा।

8. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण –

- (क) चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के लिये 05 (पाँच) दिनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण का आयोजन किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् नियोजन-पत्र का वितरण किया जायेगा। इसके पश्चात् ही केन्द्र पर कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। बिना प्रशिक्षण कार्य करना या लेना अवैध माना जाएगा। विद्यालय में योगदान के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा निर्गत नियोजन-पत्र के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (ख) शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व के विकास के लिये समय-समय पर आकलन करते हुए उपचारात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

एक घंटा की पढ़ाई,
सौ जनम की कमाई।

9. कार्यस्थल/कार्यक्षेत्र में परिवर्तन –

- (I) सम्पूर्ण बिहार में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के टोले हजारों की संख्या में हैं। परन्तु इस कार्यक्रम में केन्द्रों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 30 हजार (20 हजार शिक्षा सेवकों के लिए एवं 10 हजार शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) स्वयंसेवियों लिए) है। जो कार्य इन्हें टोले में आवंटित हैं, वह 2 वर्ष के अधीन भली-भाँति पूरा किया जा सकता है। यदि कोई शिक्षा सेवक इसे 2 वर्ष में नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक वर्ष के समय का विस्तार उसी टोले में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इसके बाद भी लक्ष्य (80 प्रतिशत) पूरा नहीं होने की स्थिति में उन्हें अयोग्य मानते हुए उनकी सेवा-मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी इन निर्णयों के लिये टोला के विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन, वार्ड सदस्य के प्रतिवेदन, माताओं की राय, के.आर.पी. के प्रतिवेदन पर स्वयं के तथ्यात्मक निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेंगे एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को प्रेषित करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा-मुक्ति का आदेश दे सकेंगे।
- (II) एक टोले में शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) 2 वर्षों तक कार्य करेंगे। दो वर्ष से पूर्व दूसरे टोले के लिए स्थल परिवर्तन नहीं होगा। उनसे यह अपेक्षा है कि उस टोले के लिए निर्धारित लक्ष्य को भली-भाँति 2 वर्ष के अन्दर प्राप्त कर लेंगे। अधिकतम तीन वर्ष तक कार्य की अनुमति होगी। कार्यस्थल के पंचायत के अन्दर दूसरे टोले में महादलित/दलित/अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा की आबादी के आधार पर अधिक संख्या वाले टोले में क्रमानुसार उन्हें प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के प्रस्ताव पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा प्रतिनियोजित किया जाएगा। नये प्रतिनियोजन स्थल में उन्हें 2 से 3 वर्ष कार्य करना होगा। इस क्रम में सभी टोला आच्छादित होने पर एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रतिनियोजन दूसरे पंचायत में किया जाएगा। स्थान-परिवर्तन का निर्णय वर्ष के अप्रैल या मई माह में लिया जाएगा, ताकि शैक्षिक वर्ष के आरंभ से कार्य करने का अवसर मिले।

पढ़ी-लिखी हर नारी होगी,
अब इसकी तैयारी होगी।

10. नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया –

- (I) शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का नियोजन 60 (साठ) वर्ष की उम्र सीमा तक कार्य किये जाने हेतु किया जायेगा। किसी कारण शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् उन्हें 60 वर्ष से पूर्व सेवा—मुक्त किया जा सकेगा।
- (II) शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे। ये मानदेय पर कार्यरत कार्यक्रम के संविदा कर्मी होंगे।
- (III) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा, कारण पृच्छा के बाद, प्रक्रिया का पालन कर मुखर आदेश से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को निम्नांकित स्थितियों में नियोजन समिति के निर्णयानुसार सेवा—मुक्त किया जा सकेगा :—
 - (क) 30 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर/आदतन अनुपस्थिति।
 - (ख) तीन या तीन से अधिक निरीक्षण/अनुश्रवण में यह प्रमाणित होने पर कि शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) कार्य के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं।
 - (ग) आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या अनैतिक आचरण करने या दलगत राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ने की घटना प्रमाणित होने पर।
 - (घ) शराब पीने, शराब बेचने, बाल—विवाह करने, दहेज लेना प्रमाणित होने पर।
 - (ङ) 30 (तीस) दिन से अधिक बिना सूचना एवं बिना ठोस कारण के अनुपस्थित रहना प्रमाणित होने पर।
 - (च) समाज—विरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों में शामिल होने या कुकृत्य करना प्रमाणित होने पर।
- (IV) नियोजन—समाप्ति के विरुद्ध प्रथम अपील 15 दिनों के अंदर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिवार्य रूप में 15 दिनों के अंदर अपील का निष्पादन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर जिला पदाधिकारी के समक्ष 15 दिनों के अंदर द्वितीय अपील किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर द्वितीय अपील का निष्पादन करेंगे।

रात को एक घण्टे ज्ञानदान करना, रात भर इबादत करने से बेहतर है।

— मुहम्मद पैगम्बर

11. इस मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निदेश जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होंगे, निरसित समझे जायेंगे।
12. यह मार्गदर्शिका पूर्व से कार्यरत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) पर भी लागू होगी।
13. इस मार्गदर्शिका में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

जब आदमी मरता है, तब केवल तीन के अतिरिक्त उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं : जकात (दान) जो चलता रहता है; ज्ञान जिससे सभी लाभ उठाते हैं, और सदाचारी औलाद जो उसके लिए दुआ माँगती है।

— मुहम्मद पैगम्बर

राज्य के महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना अंतर्गत जिलावार उत्थान केन्द्र एवं तालीमी मरकज केन्द्रों की निर्धारित संख्या (As on 01.04.2018)

क्र.सं.	जिला का नाम	साक्षरता केन्द्रों का लक्ष्य (प्रति केन्द्र एक व्यक्ति)		
		उत्थान केन्द्र (शिक्षा सेवकों की सं०)	तालीमी मरकज (शिक्षा सेवक की सं०)	कुल
2	3	4	5	
1	पटना	736	343	1079
2	भोजपुर	753	382	1135
3	बक्सर	82	60	142
4	रोहतास	687	307	994
5	कैमूर	255	89	344
6	नालंदा	509	128	637
7	मुंगेर	694	65	759
8	लखीसराय	201	26	227
9	जमुई	1068	123	1191
10	शेखपुरा	264	28	292
11	खगड़िया	655	95	750
12	बेगूसराय	216	227	443
13	नवादा	471	151	622
14	गया	2089	292	2381
15	जहानाबाद	205	55	260
16	अरवल	61	35	96
17	औरंगाबाद	1293	142	1435
18	सीवान	162	208	370
19	सारण	35	244	279
20	गौपालगंज	35	266	301
21	बाँका	649	137	786
22	भागलपुर	471	306	777
23	कटिहार	826	736	1562
24	किशनगंज	183	533	716
25	अररिया	568	535	1103
26	पूर्णिया	371	500	871
27	वैशाली	204	187	391
28	मुजफ्फरपुर	416	402	818
29	सीतामढ़ी	208	411	619
30	शिवहर	74	58	132
31	पूँछनारा	926	546	1472
32	पुनर्वा	755	468	1223
33	समस्तीपुर	1402	257	1659
34	दरभंगा	221	542	763
35	मधुबनी	1119	581	1700
36	सहरसा	291	158	449
37	सुपौल	98	218	316
38	मधेपुरा	747	159	906
	कुल	20000 (शिक्षा सेवक)	10000 (शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज)	30000

पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान की खोज करो।

— मुहम्मद पैगम्बर

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना
शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) नियोजन हेतु
आवेदन पत्र

क्रम सं०—

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा निर्धारित जाति बहुलता आरक्षण (महिला)	आवेदक द्वारा भरा जाएगा (जिस पंचायत/वार्ड (शहरी, के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसका नाम) टोला/पंचायत/वार्ड (शहरी)
---	---

1. आवेदक/आवेदिका का नाम
 2. पिता/पति का नाम
 3. माता का नाम.....
 4. जाति प्रमाण-पत्र.....
 5. (क) जन्मतिथि दिन माह वर्ष
 - (ख) उम्र (दिनांक 01.08.20..... को) वर्ष माह दिन
 6. स्थायी निवास
 - (क) टोला/गाँव/मुहल्ला
 - (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी).....
 - (ग) प्रखण्ड/नगर निकाय
 - (घ) जिला, (च) राज्य, (छ) पिन कोड
 - (ज) आधार सं०.....
 - (झ) फोन/मोबाइल नं.
 7. शैक्षणिक योग्यता

पासपोर्ट आकार का
अभिप्रमाणित फोटो
चिपकाएँ।

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	कोटि (दलित/ महादलित/ अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा	महिला / पुरुष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

मेहनत करके पढ़ने दो,
हमको आगे बढ़ने दो।

घोषणा :- मेरी जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त सूचनाएँ सत्य हैं। असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

सीन—

दिनांक —

आवेदक का पूरा नाम

हस्ताक्षर

नोट— आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की स्वयं अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें— 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण—पत्र। 2. आवासीय प्रमाण—पत्र। 3. कार्य अनुभव प्रमाण—पत्र। 4. अनुभव की अवधि में वेतन भुगतान का प्रमाण—पत्र। 5. जाति प्रमाण—पत्र।

शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमती , पिता / पति श्री
(क) टोला / गाँव / मुहल्ला (ख) पंचायत / वार्ड (शहरी)
(ग) प्रखण्ड / नगर निकाय (घ) जिला का
आवेदन पत्र शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के नियोजन हेतु दिनांक
.....को प्राप्त किया। इन्होंने पंचायत / वार्ड (शहरी) प्रखण्ड / नगर निकाय
..... जिला के लिए आवेदन दिया है, जिसका क्र० सं० है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) चयन : मेधा सूची प्रपत्र
टोला/पंचायत/वार्ड समूह स्तरीय प्रपत्र

प्रखण्ड:.....पंचायत.....टोला/वार्ड.....टोले में किस समुदाय की बहुलता है

[illegible]

सदस्य-सह-संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

तुमने पढ़ा है, 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव', — 'अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो', परन्तु मैं कहता हूँ, 'दरिद्रदेवो भव, मूर्खदेवो भव' — गरीब, निरक्षर, मूर्ख और दुःखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो। इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो।

—स्वामी विवेकानन्द

कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता).....

पता —

पत्रांक— दिनांक—

नियोजन-पत्र

श्री/श्रीमती :
 पिता/पति का नाम :
 ग्राम : पोस्ट :
 प्रखण्ड : जिला :
 आपको सूचित किया जाता है कि जन शिक्षा निदेशालय, पटना के पत्रांक—
 दिनांक— के आलोक एवं दिनांक को प्रकाशित चयन सूची के आधार
 पर आपका चयन शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रूप में टोला.....
 एवं संबद्ध विद्यालय..... पंचायत.....
 प्रखंड..... जिला में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर
 मानदेय आधारित नियोजन 'शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज)' के रूप में किया
 जाता है :—

1. आप निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 80 प्रतिशत तक बनाये रखने का कार्य करेंगे तथा बच्चों को वर्ग सापेक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सहयोग करेंगे।
2. निर्धारित टोले की असाक्षर वयस्क महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करेंगे।
3. सरकार की विकास योजनाओं, समाज-सुधार के कार्यक्रमों से टोले के लोगों का परिचय कराते हुए जागरूक करेंगे। आप अपने-अपने कार्य-क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लाभुकों के बीच समन्वय करेंगे। समय-समय पर निदेशालय द्वारा आवंटित शिक्षा, साक्षरता एवं जन-जागरण के कार्य करेंगे।
4. आपका नियोजन 60 वर्ष की उम्र सीमा तक कार्य किये जाने हेतु किया गया है। किसी कारण शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् आपको 60 वर्ष से पूर्व सेवा-मुक्त किया जा सकेगा।
5. आप मानदेय पर कार्यरत कार्यक्रम के संविदा कर्मी होंगे। आप का नियोजन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किया गया है और आपका मुख्य दायित्व संदर्भित लोगों को शिक्षा एवं साक्षरता की मुख्य धारा में लाना है।

उठो, जागो और लक्ष्य-प्राप्ति तक मत रुको।

— स्वामी विवेकानन्द

6. आपको निम्नांकित स्थितियों में कारण पूछ कर, प्रक्रिया का पालन करते हुये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा सेवा—मुक्त किया जा सकेगा :—
 - (क) 30 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर / आदतन अनुपस्थिति ।
 - (ख) तीन या तीन से अधिक निरीक्षण / अनुश्रवण में यह प्रमाणित होने पर कि आप कार्य के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं ।
 - (ग) आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या अनैतिक आचरण करने या दलगत राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ने की घटना प्रमाणित होने पर ।
 - (घ) शराब पीने, शराब बेचने, बाल—विवाह करने एवं दहेज लेना प्रमाणित होने पर ।
 - (ङ) 30 (तीस) दिन से अधिक बिना ठोस कारण अनुपस्थित रहना प्रमाणित होने पर ।
 - (च) समाजविरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों में शामिल होने या कुकृत्य प्रमाणित होने पर ।
7. आपने शपथ—पत्र द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन की सहमति दी है ।
8. सेवा—अवधि में आपको प्रतिमाह 8,000 / — (आठ हजार) रु० मानदेय संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के कार्यालय से उपस्थिति एवं कार्य के आधार पर दिया जायेगा ।
9. आपके द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण—पत्र असत्य पाये जाने पर आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा एवं आपके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जायेगी ।
10. प्रशिक्षण के पश्चात् आप कार्य हेतु योगदान करेंगे ।

स्थान :

दिनांक :

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(साक्षरत)

अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं; लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं, तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं ।

शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का शपथ-पत्र

1. मैं, पुत्र/पुत्री,
जिला, प्रखण्ड..... पंचायत/वार्ड
..... के टोला, संबद्ध विद्यालय.....
..... में शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रूप में ईश्वर/खुदा को
साक्षी मानकर यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपनी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से
अपने क्षेत्र के सभी 6-14 आयु के बच्चों को विद्यालय से जोड़कर गुणात्मक शिक्षा
प्राप्त कराऊँगा/कराऊँगी एवं वयस्क महिलाओं को साक्षर बनाऊँगा/बनाऊँगी।
दलितों/महादलितों/ अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग को सरकार की योजनाओं का
लाभ दिलाने के लिए सरकार एवं लाभार्थी के बीच समन्वय का काम
करूँगा/करूँगी।
2. मैं अपने कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले सभी भाई एवं बहनों को एक समान
समझूँगा/समझूँगी और जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का
भेदभाव नहीं करूँगा/करूँगी।
3. मैं नशा-मुक्ति अभियान को घर-घर तक पहुँचाऊँगा/पहुँचाऊँगी। इसके साथ ही
दहेज-प्रथा एवं बाल-विवाह के विरुद्ध समाज में जागरूकता लाने का प्रयास
करूँगा/करूँगी।
4. मैं जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना एवं सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरी
लगन, निष्ठा एवं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करूँगा/करूँगी एवं निर्धारित टोले
के सर्वांगीण विकास में पूर्ण सहयोग दूँगा/दूँगी।
5. संविदा आधारित नियोजन की सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।
6. मैं सरकारी सेवा का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक-

पूरा नाम-

स्थान -

हस्ताक्षर-

मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है, तो वह है उसका अज्ञान

— चाणक्य

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना
शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन से संबंधित
मेधा प्रतिवेदन

जिला का नाम —
प्रखण्ड का नाम —
पंचायत का नाम —
टोला/वार्ड का नाम —

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मैट्रिक का पूर्णांक	मैट्रिक का प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव का अंक	मेधा अंक	अभ्युक्ति

प्रधानाध्यापक—सह— संयोजक

अध्यक्ष

अक्षर—आँचल लहराने दो
शिक्षा घर—घर आने दो।

हम होंगे कामयाब

होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब,
हम होंगे कामयाब एक दिन ।
हो हो, मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन ।।

हम चलेंगे साथ-साथ, डाल हाथों में हाथ
हम चलेंगे साथ-साथ एक दिन ।
हो हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम चलेंगे साथ-साथ एक दिन ।।

नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज,
नहीं डर किसी का आज के दिन ।
हो हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
नहीं डर किसी का आज के दिन ।।

होगी शान्ति चारों ओर, होगी शान्ति चारों ओर,
होगी शान्ति चारों ओर एक दिन ।
हो हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
होगी शान्ति चारों ओर एक दिन ।

होगी शिक्षा सबके पास, होगी शिक्षा सबके पास,
होगी शिक्षा सबके पास एक दिन ।
हो हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
होगी शिक्षा सबके पास एक दिन ।

बिहार गीत

मेरे भारत के कंठहार
तुझको शत्-शत् वंदन बिहार।

तू वाल्मीकि की रामायण
तू वैशाली का लोकतंत्र
तू बोधिसत्त्व की करुणा है
तू महावीर का शांति-मंत्र
तू नालंदा का ज्ञानदीप
तू ही अक्षत-चंदन बिहार।

तू है अशोक की धर्मध्वजा
तू गुरुगोविंद की वाणी है
तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह,
तू कुँअर सिंह बलिदानी है
तू बापू की है कर्मभूमि
धरती का नंदन-वन बिहार।

तेरी गौरव-गाथा अपूर्व
तू विश्वशांति का अग्रदूत
लौटेगा खोया स्वाभिमान
आज जाग चुके तेरे सपूत
अब तू माथे का विजयतिलक
तू आँखों का अंजन बिहार।

तुझको शत्-शत् वंदन बिहार।
मेरे भारत के कंठहार॥